| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 09/12/2014 | **सारण समाहरणालय, छपरा।**<br><br>**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा**<br>**जिला विधि प्रशाखा**<br>**आपूर्त्ति अपील संख्या 60/12**<br>**लालबाबू राय बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य**<br>**आदेश**<br><br>संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1906 दिनांक 14.6.12 के विरूद्ध दायर किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना सी.डब्ल्यू.जे.सी सं0 5478/2014 में पारित आदेश दिनांक 24.7.14 के आलोक में संबंधित दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।<br><br>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 26.5.12 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (अंचलाधिकारी, मढ़ौरा एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मशरक एवं पानापुर) के द्वारा लाल बाबू राय, जविप्रवि, अनुज्ञप्ति सं0 49/07, पंचायत–मदारपुर, प्रखंड–अमनौर की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है:<br><br>1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे।<br>2. विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों द्वारा कहा गया कि रोस्टर के अनुसार आज खाद्यान्न उठाव हेतु मढ़ौरा जाने की बात कही गयी है, लेकिन जॉच हेतु कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।<br>3. आपके दुकान से सबद्व उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया कि बी.पी.एल. | |

योजना में 08 किलोग्राम गेहूँ एवं 12 किलोग्राम चावल कुल 20 किलोग्राम का दर 140.00 रूपया लेकर खाद्यान्न देने की बात कही गयी है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 1097 दिनांक 31.5.12 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब के साथ कागजातों को भी प्रस्तुत किया गया। जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन एवं विश्लेषणोपरान्त बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001, बिहार राज्य कूपन योजना 2006, अनुज्ञप्ति की शर्तो, विभागीय दिशा निर्देशों के उल्लंघन एव जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 26.5.12 को एफ.सी.आई. मढ़ौरा के गोदाम पर खाद्यान्न उठाव का रोस्टर निर्धारित था, इसलिए विकेता दूकान बंद कर गोदाम चला गया था। जॉच दल को जॉच के समय विकेता के परिवार के सदस्य द्वारा बताया गया कि रोस्टर के अनुसार मढ़ौरा गोदाम पर खाद्यान्न उठाव करने गए हैं। परिवार के सदस्यों को कागजात का अनुभव नहीं रहने के कारण कागजात समर्पित नहीं किया गया। उपभोक्ताओं के द्वारा खाद्यान्न वितरण में की गयी अनियमितता से संबंधित शिकायत स्पष्ट नहीं है। किनके द्वारा शिकायत की गयी, इसका उल्लेख स्पष्टीकरण में किया जाना चाहिए था। विकेता के द्वारा सभी उपभोक्ताओं को विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में वितरण किया जाता कैशमेमो भी दिया जाता है, जिन पर उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर रहता है। हो सकता है कि किसी उपभोक्ता के द्वारा विकेता को परेशान करने तथा अधिक मात्रा में खाद्यान्न मॉगने पर नहीं दिए जाने के कारण गलत बयान दिया गया हो। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विकेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने

का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। यह उचित होता कि विक्रेता को उनकी दुकान से संबंधित पंजी एवं अन्य कागजात के साथ बुलाकर उनकी सुनवाई की जाती और यदि उनके कागजातों के संधारण में कोई अनियमितता पायी जाती, तो आवश्यक कार्रवाई की जाती, किन्तु अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा पारित आदेश में शिकायत करने वाले व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे लगाया गया आरोप पुष्ट नहीं होता है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है। .

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1044 दिनांक 12/12/14

प्रतिलिपि– SDO, मढ़ौरा / DJO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
12/12/14 जिला विधि शाखा, सारण